उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-1
संख्याः855/ XXII (I)/2015-7(11)2012
दिनांक : 06 नवम्बर,2015

कार्यालय -ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार करने, प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग करने, विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावशाली ढंग से पहुॅचाने, शासकीय विज्ञापनों की स्वीकृति,निर्गम,पात्रता सूची का निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित करने संबंधी, ''उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली,2015'' प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित करने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 855 (1)/ XXII (I)/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. सचिव,श्रीराज्यपाल,उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त कुमाॅउ/गढवाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव,माननीय मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. एन.आई.सी सचिवालय परिसर।
12. उप निदेश,राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियाॅ सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव,

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-1
संख्याः855/ XXII (I)/2015-7(11)2012
दिनांक : 06 नवम्बर,2015

<u>अधिसूचना</u>

<u>विविध</u>

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए सूचना विभाग में प्रिन्ट मीडिया विज्ञापनों को विनियमित किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

"उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- 1. (क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.परिभाषाएं - जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(क) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ख) 'महानिदेशक' से महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(ग) 'समिति' से राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के अन्तर्गत गठित की गई समिति अभिप्रेत है ;

(घ) 'समाचार पत्र' से नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन अभिप्रेत है, जैसा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में परिभाषित है;

(ड.) 'सूचीबद्धता' से इस नियमावली के अधीन गठित समिति द्वारा आवेदक समाचार पत्रों को शासकीय विज्ञापन के लिए पात्रता सूची में शामिल किये जाना अभिप्रेत है;

(च) ' शासकीय विज्ञापन' से राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपक्रम, संस्था, बोर्ड, परिषद एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन अभिप्रेत है ।

उद्देष्य 3. इस नियमावली को प्रख्यापित किए जाने के निम्नवत् उद्देश्य है :-

(क) उत्तराखण्ड सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना;

(ख) प्रचार-प्रसार करने हेतु संचार का माध्यम प्रिन्ट मीडिया का समुचित उपयोग करना;

(ग) विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पहुंचाना;

(घ) शासकीय विज्ञापनों की स्वीकृति, निर्गम, पात्रता सूची का निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना ।

सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति- 4. विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों की सूचीबद्धता एक समिति द्वारा की जायेगी। समिति में कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें से चार सरकारी तथा चार गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य नियम 5 के अनुरूप नामित पत्रकार होंगे। समिति निम्नवत् संरचित होगी :-

(1) महानिदेशक	अध्यक्ष
(2) अपर निदेशक	सदस्य सचिव
(3) समिति में नामित चार पत्रकार	सदस्य
(4) संयुक्त निदेशक अथवा उपनिदेशक (विज्ञापन)सूचना	सदस्य
(5) सूचना अधिकारी, निरीक्षा शाखा	सदस्य

समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, चयन एवं पद से हटाया जाना- 5. (क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा ।

(ख) उक्त सदस्यों/पत्रकारों का चयन संबंधित पत्रकार संगठनों के अध्यक्ष की संस्तुति पर किया जायेगा।

(ग) इन सदस्यों/पत्रकारों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष होगा।

(घ) पत्रकार संगठनों से समिति में सदस्यों का चयन प्रति दो वर्ष के लिए संगठनों के नाम के हिन्दी के वर्णाक्रमानुसार रोस्टर के आधार पर किया जायेगा।

(ड.) समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र देने, संबंधित संगठन से निष्कासित किए जाने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने तथा न्यायालय से दोष-सिद्व होने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ता - 6. समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों को बैठक के दौरान प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समतुल्य यात्रा एवं दैनिक भत्ते देय होंगे।

समिति की बैठक तथा गणपूर्ति- 7. समिति की बैठक वर्ष में दो बार अर्थात माह जनवरी तथा माह जुलाई में आयोजित की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष व सदस्य सचिव को मिलाकर छः सदस्यों से होगी।

सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड -8. (क) समाचार पत्र 18 माह के नियमित प्रकाशन के पश्चात् ही आवेदन हेतु पात्रता की श्रेणी में आयेंगे।

(ख) विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के लिए सम्बन्धित समाचार पत्र के स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दिये गये प्रररूप में आवेदन-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित जिला सूचना अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को वांछित अभिलेखों को अपनी संस्तुति के साथ महानिदेशक, सूचना को अग्रसारित करेंगे।

(ग) ऐसे समाचार पत्र-पत्रिकाओं को सूची में शामिल नहीं किया जायेगा जो साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते है, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को कमजोर करते हैं, तथ्यहीन समाचार प्रकाशित करता हो या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदण्डों को आघात पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों को विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध करते समय समाचार पत्रों के विगत 18(अठारह) माह में प्रकाशित किये गये समाचारों की निरीक्षा की जायेगी, निरीक्षा करने के उपरान्त यदि समाचार पत्र साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को कमजोर करते है, तथ्यहीन समाचार प्रकाशित करता हो या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदण्डों को आघात पहुंचाने के समाचार प्रकाशित किया जाना दृष्टि गोचर हो तो ऐसे समाचार पत्रों को सूचीबद्ध किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रदेश से प्रकाशित समाचार पत्रों की नियमितता मुख्यालय और जिला सूचना कार्यालय अर्थात दोनों स्थानों से होनी अनिवार्य है।

(ड.) समाचार पत्र को तीन वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात सूचीबद्वता का नवीनीकरण किया जायेगा, जिसके लिए समाचार पत्र को सूचीबद्वता अवधि पूर्ण होने से छः माह पूर्व नियमानुसार पुनः आवेदन करना आवश्यक होगा अन्यथा सूचीबद्वता निर्धारित अवधि के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। (परिशिष्ट-2)

(च) एक परिवार द्वारा एक भाषा में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर केवल एक ही प्रकाशन को सूचीबद्व किया जायेगा। परिवार से तात्पर्य समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक की पत्नी/पति, माता-पिता, अविवाहित पुत्र तथा पुत्री से है।

(छ) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से छः माह पश्चात तक विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध समाचार पत्र विज्ञापन हेतु मान्य समझे जाएंगे। छः माह के अन्दर पूर्व से सूचीबद्व समाचार पत्रों को भी इस नियमावली के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही उन्हें भी सूचीबद्वता हेतु समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

(ज) उन समाचार पत्रों को सूचीबद्व नहीं किया जायेगा जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के प्राविधानों को पूर्ण नहीं करते हों ।

समाचार पत्रों को सूचीबद्धता के लिए निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगेः-

(8.1) (क) आर0एन0आई0 द्वारा निर्गत समाचार पत्र के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

(ख) समाचार पत्र के प्रकाशन का घोषणा पत्र तथा प्रिंटिंग प्रेस के साथ किया गया अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित प्रति ।

(ग) प्रसार संख्या की पुष्टि में 75 हजार या इससे अधिक प्रसार संख्या के लिए ए.बी.सी. का प्रमाण पत्र तथा 75 हजार से कम प्रसार संख्या के लिए चार्टेड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र इस नियमावली के परिशिष्ट-3 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(घ) आर.एन.आई. को प्रस्तुत वार्षिक विवरणिका की प्रमाणित प्रति ।

(ड.) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति। (पैन नं.संबंधित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक अथवा संबंधित फर्म के नाम से होना चाहिए)

(च) डाक पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र।

(छ) एजेन्सी के माध्यम से वितरित किये गये समाचार पत्र के वितरण की पुष्टि में संबंधित वितरक एजेन्सी द्वारा समाचार पत्र को प्रस्तुत किये गये 18 माह के बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए ।

(ज) प्रकाशित समाचार-पत्र को गत 18 माह में प्रिंटिग प्रेस द्वारा मुद्रण हेतु प्रेषित बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए ।

(झ) जिस समाचार पत्र की स्वयं की प्रिंटिग प्रेस होगी उन्हें क्रय किये गये कागज, स्याही तथा प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री व विद्युत उपभोग के गत 18 माह के बीजकों की प्रति संलग्न करनी होगी। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए। अपने समाचार पत्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य समाचार पत्र का मुद्रण उक्त प्रेस में किया जा रहा हो, तो उसका प्रमाणित विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

(ट) प्रिन्टिंग प्रेस की मुद्रण क्षमता का प्रमाण पत्र ।

(ठ) जिस प्रिन्टिंग प्रेस में समाचार पत्र मुद्रण किया जा रहा हो उस प्रिंटिंग प्रेस में कितने समाचार पत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र।

(ड़) आवेदन पत्र में दी जाने वाली समस्त जानकारी/सूचना/अभिलेख के संबंध में शपथ-पत्र।

(ढ़) सूचीबद्वता/नवीनीकरण हेतु आवेदन देने से पूर्व प्रकाशक को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि नियमावली में दी गई सभी शर्तो को उनका प्रकाशन पूरा करता है। आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए तथा उसके साथ वांछित अभिलेख भी संलग्न किये जाएं। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(ण) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जनपद के जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु (ट) तथा (ठ) की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराते हुए जिलाधिकारी की संस्तुति,जांच आख्या सहित आवदेन पत्र महानिदेशक, सूचना को प्रेषित करेंगे)

समाचार पत्रों का वर्गीकरण- 9. विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिए समाचार पत्रों को तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जायेगा -

(क) राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र

जो दैनिक समाचार पत्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में से किन्ही दो स्थानों से प्रकाशित होता हो (न्यूनतम दो संस्करण) और जिसके एक संस्करण की न्यूनतम समुल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो तथा संयुक्त संस्करण में कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या-1.25 लाख हो, को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

(ख) राज्य स्तर के समाचार पत्र

उत्तराखण्ड के देहरादून सहित किन्हीं दो स्थानों से मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, जिसकी एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 65 हजार हो और उत्तराखण्ड के समस्त संस्करणों की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 90 हजार हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र

उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो राज्य स्तरीय श्रेणी में नही आयेंगे तथा जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या 5 हजार हो इस श्रेणी में सम्मिलित किये जाएंगे।

विज्ञापन वितरण प्रक्रिया-10. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे।

निविदा सूचना-(10.1) (क) निविदा सूचना के विज्ञापन 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008' में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्गत किये जाएंगे तथा सामान्य दशा में निविदा सूचना का प्रकाशन अधिकतम तीन समाचार पत्रों में ही कराया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे दो समाचार पत्रों जिनका प्रसार राज्य में सबसे अधिक हों तथा उनकी पहुंच एवं लोकप्रियता जनसाधारण में हो में दो समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन मण्डलवार प्रसार संख्या के आधार पर रोस्टर के अनुसार प्रकाशित कराएं जाएंगे। विज्ञापन के महत्व व प्रचार की आवश्यकता को देखते हुए तीन से अधिक समाचार पत्रों को भी वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किया जा सकेगा।

(ख) निविदा सूचना के विज्ञापन के लिए वे ही दैनिक समाचार पत्र पात्र होंगे, जिनकी डी.ए.वी.पी./विभागीय दर स्वीकृत होगी और प्रसार संख्या दस हजार से अधिक होगी।

सजावटी विज्ञापन- (10.2).(क) प्रदेश से प्रकाशित तथा विभाग में सूचीबद्ध समाचार पत्रों को इस नियमावली के परिशिष्ट-4 में उल्लिखित प्रमुख अवसरों पर विज्ञापन जारी किये जा सकेंगे। (प्रदेश से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्रों को उक्त अवसरों पर आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश से बाहर दिल्ली सहित दो संस्करणों को भी विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकता है)

(ख) प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाले केवल ऐसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों को इस नियमावली के परिशिष्ट-4 में उल्लिखित प्रमुख अवसरों के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेगें, जो राज्य की योजनाओं एवं नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक समझे जायेगे।

(ग) अन्य विभागों से प्राप्त सजावटी विज्ञापन अधिकतम प्रसार वाले राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में ही प्रकाशित कराये जाएंगे।

(घ) प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें विभाग की उपयोगिता एवं पत्र की प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष में केवल एक बार, दैनिक समाचार पत्र को अधिकतम एक पृष्ठ व एवं अन्य समाचार पत्रों को दो पृष्ठ के विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर दिये जा सकेंगे। व्यावसायिक दरों पर किसी भी दशा मे विज्ञापन नहीं दिये जाएंगे।

(ड.) प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाले जिन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें विभागीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष में केवल एक बार, अधिकतम एक पृष्ठ के विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर दिये जा सकेंगे।

(च) राज्य सरकार को यदि कोई सूचना/विज्ञापन किसी विशेष अवसर पर प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य में प्रकाशित कराया जाना हो, तो ऐसा विज्ञापन गैर हिन्दी भाषा राज्य के सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले अधिकतम दो समाचार पत्रों तथा हिन्दी भाषी राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले अधिकतम चार समाचार पत्रों में, जो विभाग में सूचीबद्व नहीं है, किन्तु डी.ए.वी.पी. से उनकी दरें स्वीकृत है, में प्रकाशित कराया जा सकेगा। यह विज्ञापन केवल डी.ए.वी.पी. दरों पर ही आवश्यकता के दृष्टिगत प्रकाशित कराया जायेगा ।

(छ) सरकार द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, जो विभाग में सूचीबद्व नहीं होती है, को प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन दिये जाते हैं, जिनके द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर स्वीकार नहीं की जाती है। इन पत्रिकाओं द्वारा व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है। व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन केवल ऐसी पत्रिका को दिये जाएंगे, जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो तथा उनका प्रसार कम से कम चार राज्यों में हो। प्रसार संख्या के संबंध में ऐसी पत्रिका के स्वामी/अधिकृत व्यक्ति का शपथ-पत्र तथा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

(ज) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा विगत तीन वर्षों से प्रकाशित की जा रही स्मारिकाओं को उनसे आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त (संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा) अधिकतम 25 हजार रुपये का विज्ञापन वर्ष में एक बार महानिदेशक की स्वीकृति के उपरांत जारी किया जा सकता है ।

(झ) शासकीय विज्ञापन विभाग द्वारा सीधे अथवा विज्ञापन एजेंसी, जो आई.एन.एस. से मान्यता प्राप्त तथा विभाग में सूचीबद्व हो, के माध्यम से भी निर्गत किये जा सकते है। विज्ञापन एजेंसी का कमीशन विभाग द्वारा पृथक से देय नही होगा, बल्कि समाचार पत्र-पत्रिका की निर्धारित दर के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।

(ट) प्रवेशांक के रूप में किसी भी समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं दिया जायेगा।

समाचार पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड -11. (क) समाचार पत्रों में कुल स्थान में 60 प्रतिशत समाचारों का समावेश होना आवश्यक है, अर्थात विज्ञापन 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ख) समाचार पत्र की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित समाचार पत्र-पत्रिकओं की 2 प्रतियां देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय में प्रकाशन के सात दिन के अंदर तथा संबंधित जिले के जिला सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। निर्धारित समयान्तर्गत समाचार पत्र जमा न करने अर्थात एकमुश्त जमा किये जाने वाले समाचार पत्रों को भी अनियमित माना जायेगा। समाचार पत्र को सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय तथा संबंधित जिला सूचना कार्यालय अर्थात दोनां स्थानों से नियमित होना आवश्यक है। ऑन लाईन नियमितता भी मान्य होगी। समाचार पत्र के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। नियमितता रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई समाचार पत्र अनियमित पाया जाता है, तो ऐसी दशा में समाचार पत्र के पुनः नियमित होने तक उसे विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे तथा वह समाचार पत्र स्वतः ही विज्ञापन सूची से पृथक समझे जायेंगे। नियमितता प्रतिमाह के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ग) समाचार पत्र के प्रकाशन में पाठ्य सामग्री की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(घ) समाचार पत्रों का मुद्रण जिस प्रेस में होता है, उसी प्रेस में मुद्रित अन्य समाचार-पत्रों की पाठ्य-सामग्री में एकरूपता नही होनी चाहिए।

(ड.) विज्ञापनों/लेखों/समाचारों का उपयोग स्थान पूर्ति के उद्देश्य से नही किया जाना चाहिए।

(च) छपाई स्पष्ट एवं पठनीय होने के साथ-साथ भाषा तथा वर्तनी दोष रहित होनी चाहिए।

(छ) सम्पादकीय लेखों में एकरूपता नही होनी चाहिए।

(ज) समाचार पत्र में साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने या भड़काने का प्रयास करने, हिंसा के लिए उकसाने, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को कमजोर करने, तथ्यहीन समाचार, समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मापदण्डों को आघात पहुंचाने संबंधी समाचार नहीं होने चाहिए ।

(झ) समाचार पत्र में डेट लाइन का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

(ट) समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशन, स्थान, दिनांक, वर्ष और अंक, संख्या भी मुद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार-पत्र का नाम, दिनांक व पृष्ठ संख्या मुद्रित होनी चाहिए।

(ठ) दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकीय लेखों का औसत कम से कम सप्ताह में पांच दिन होना चाहिए। साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों में प्रति अंक सम्पादकीय लेखों का प्रकाशन आवश्यक है।

(ड) प्रस्तावित नियमावली में निरीक्षा शब्द का आशय पत्र-पत्रिकाओं के नियमित प्रकाशन/समाचारों की भाषा, वर्तनी, सम्पादकीय आदि का परीक्षण करते हुए सूचीबद्धता एवं विज्ञापन के लिए आख्या प्रस्तुत करने से है।

समाचार पत्रों का मुद्रित आकार-12. विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु संबंधित समाचार-पत्रों का न्यूनतम मुद्रित आकार निम्न प्रकार से होगा :-

क्रमांक	**नियतकालिकता**	**न्यूनतम प्रिंट एरिया**
(1)	दैनिक	1520 स्टैडर्ड कॉलम से.मी./7600 वर्ग से.मी.
(2)	साप्ताहिक/पाक्षिक	700 स्टैडर्ड कॉलम से.मी./3500 वर्ग से.मी.
(3)	मासिक/त्रैमासिक	960 स्टैडर्ड कॉलम से.मी./4800 वर्ग से.मी.

(समाचार पत्र के कॉलम से0मी0 से आशय न्यूनतम मुद्रित आकार 5 से0मी0 चौड़ाई मानक से है)

विज्ञापन दरों का निर्धारण-13. (क) जिन समाचार पत्रों की विज्ञापन दर, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (क्ण्।ण्टण्च्ण्) द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा वही दर दी जायेगी। विभाग में सूचीबद्ध समाचार पत्र जिनकी डी0ए0वी0पी0 दर निर्धारत नहीं है, उन्हें सशुल्क प्रसार संख्या के आधार पर निम्नानुसार विभागीय दर देय होगी :-

क्रस	**प्रसार संख्या**	**दैनिक (प्रति वर्ग से.मी.)**	**साप्ताहिक, पाक्षिक (प्रति वर्ग से.मी.)**	**मासिक/द्विमासिक/त्रैमासिक (प्रति वर्ग से.मी.)**
1	5,000 तक	6.29	6.93	9.63
2	5,001 से 15,000 तक	8.97	10.93	10.94
3	15,001 से 25,000 तक	12.13	14.85	13.43
4	25,001 से 35,000 तक	15.41	19.63	15.93
5	35,001 से 45,000 तक	18.67	19.24	19.89
6	45,001 से 55,000 तक	21.62	22.26	22.90
7	55,001 से 65,000 तक	22.18	22.72	23.46
8	65,001 से 75,000 तक	25.51	26.23	26.88
9	75,001 से 85,000 तक	29.03	29.64	30.28
10	85,001 से 100,000 तक	34.11	34.75	35.40
11	100,000 से ऊपर	39.23	39.97	40.70

(ख) समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के विज्ञापन की दर सम्बन्धित समाचार पत्र को स्वीकृत दर से 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी। बहुरंगी विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए सम्बन्धित समाचार पत्र को स्वीकृत दर से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दर दी जायेगी।

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपक्रम, संस्था, बोर्ड, परिषद एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा।

(घ) उपरोक्त प्रस्तर-13 में विभागीय विज्ञापन दरों का पुनरीक्षण यथा सम्भव प्रत्येक तीन वर्ष में इस नियमावली के प्रस्तर- 4 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति की संस्तुति के आधार पर दरों में परिवर्तन शासन की स्वीकृति से किया जायेगा।

टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी -14 (क) आफसेट से निकाले जा रहे समाचार-पत्रों को हिन्दी में 10 व अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी।

(ख) लेटर प्रेस पर छपे हुए समाचार पत्रों को हिन्दी व अंग्रेजी में 12 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और माप के आगणन के लिए शब्दों की संख्या को 0.16 से गुणा किया जायेगा।

भुगतान की प्रक्रिया-15. (क) प्रकाशित विज्ञापन में विभाग द्वारा दिये गये विज्ञापनादेश की शर्तो का अनुपालन शतप्रतिशत होने की दशा में ही भुगतान किया जायेगा ।

(ख) छपी हुई विज्ञापन सामग्री पठनीय सुव्यवस्थित तथा दाग धब्बों रहित होनी चाहिए अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ग) बीजकों का भुगतान प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के आधार पर किया जायेगा ।

(घ) समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पत्र का नाम, वर्ष, अंक, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान, दिन व दिनांक तथा प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार पत्र का नाम, पृष्ठ संख्या व दिनांक मुद्रित होना चाहिए। बहुसंस्करणीय समाचार-पत्र के अन्दर के प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार पत्र का नाम, पृष्ठ संख्या, दिनांक एवं संस्करण का नाम प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।

(ड.) समाचार पत्र/पत्रिकाओं की प्रिन्ट लाइन में मुद्रक, प्रकाशक स्वत्वाधिकारी एवं स्थानीय पता आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।

(च) विज्ञापन जिस अंक/विशेषांक के लिए निर्गत किया गया हो, उसी में प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।

(छ) विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से विलम्बतम 3 माह के अन्दर भुगतान हेतु बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा भुगतान के विलम्ब के लिए विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। भुगतान विभागीय बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

(ज) विज्ञापन बीजकों का भुगतान ई-पेंमेंट के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित समाचार पत्र के स्वामी/सम्पादक को बैंक खाता संख्या, ब्रांच कोड आईएफएससी कोड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं. और मोबाईल नं. का अंकन बीजक में करना आवश्यक है।

(झ) समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा।

पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण-16. सूचना विभाग यदि आवश्यक समझे तो समाचार-पत्रों या विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले समाचार पत्रों, सूचीबद्ध समाचार पत्रों की प्रसार संख्या, मुद्रणालय की मुद्रण क्षमता, कागज, स्याही और प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री के खरीदी के देयक, बिजली का बिल, अन्य सम्बद्ध कारकों के आधार पर सत्यापन/जांच करा सकता है। यह सत्यापन/जांच आवश्यकता और शिकायत के आधार पर करायी जा सकेगी। जांचोपरान्त समिति अपनी संस्तुति महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक जनपद में समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :

(क) जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
(ख) जिलाधिकारी द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा।	- सदस्य
(ग) सम्बन्धित जनपद के जिला सूचना अधिकारी	- सदस्य सचिव
(घ) श्रम विभाग का एक अधिकारी	- सदस्य

अपीलीय समिति-17. प्रस्तर-16 में गठित समिति के निष्कर्षों से असहमत होने पर सम्बन्धित समाचार पत्र राज्य स्तरीय अपीलीय समिति मे अपना पक्ष रख सकेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन ।

(ख) अपर सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन ।

(ग) अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन जो सूचना विभाग का कार्य देखते हों।

सूचीबद्व समाचार पत्रों को सूचीबद्धता से पृथक करना-18. सूचीबद्ध प्रकाशनों को निम्न कारणों के आधार पर समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, सूचना द्वारा तीन वर्ष तक विज्ञापन सूची से पृथक किया जा सकेगा : -

(क) सूचीबद्वता के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेख/सूचना के गलत पाये जाने पर।

(ख) ऐसे समाचार पत्र जो साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता को कमजोर करते हैं, प्रकाशित समाचार में प्रयुक्त भाषा मर्यादित एवं संयमित न होना, जातिवाद, चरित्रहीनता, कुरूचि, अश्लीलतापूर्ण समाचार प्रकाशित करता हों।

(ग) समाचार पत्र/पत्रिका के मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक के अनैतिक, देशद्रोही, आतंकवादी एवं समाज विरोधी अपराध (मारल टर्पीट्यूड) का दोषी होने पर।

(घ) जो समाचार-पत्र/पत्रिका/एजेंसिया विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों को प्रकाशित करने से मना करेंगे उन्हे निदेशक की अनुमति से 06 माह के लिए निलम्बित किया जायेगा।

(ड.) समाचार-पत्र/पत्रिका का प्रकाशन अनियमित होने पर (नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।)

(च) उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रस्तर-11 के उप नियम (ग) से (ठ़) का उल्लंघन करने पर।

19. उक्त नियमावली के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-197/2004 एवं संख्या-302/2012 में पारित आदेश के सभी प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त नियमावली का कोई प्रस्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से जिस सीमा तक विरोधाभाषी होगा,उस सीमा तक वह प्रस्तर निष्प्रभावी माना जायेगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

<u>परिशिष्ट-1</u>

विज्ञापन की सूचीबद्वता हेतु

<u>आवेदन पत्र</u>

1. समाचार पत्र का नाम : ....
2. समाचार पत्र का प्रकार (दैनिक/सांध्य दै./साप्ता./पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक)..........
3. समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशका नाम, पता एवं मोबाइल नं0..........
4. समाचार पत्र की भाषा..........
5. समाचार पत्र का आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या व वर्ष..........
6. समाचार पत्र का डाक पंजियन संख्या वर्ष..........
7. समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल का नाम एवं पता..........
8. समाचार पत्र के प्रारम्भ होने की तिथि..........
9. समाचार पत्र किस दिन व दिनांक प्रकाशित होता है..........
10. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी/आर.एन,आई/सी.ए.)..........
11. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड से बाहर..........
12. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड में (वितरण की संख्या जिलेवार अंकित करे)..........
13. समाचार पत्र का मूल्य प्रति अंक ....
14. समाचार पत्र का मुद्रित आकार ,कालम व कुल पृष्ठ संख्या : ....
15. समाचार किस कलर में प्रकाशित होता है (श्वेत-श्याम/रंगीन)..........
16. समाचार पत्र के स्वामी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते हों तो उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम..........
17. समाचार पत्र के स्वामी के परिवार द्वारा कितने समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते उसका नाम, भाषा, अध्याविधक, प्रकाशन का नाम..........
18. समाचार पत्र के सम्पादक का नाम,पता एव मोबाइल नं0..........
19. समाचार पत्र के प्रकाशक/मुद्रक,का नाम, पता एवं मोबाइल नं0..........
20. समाचार पत्र द्वारा समाचार संकलन हतु यदि किसी समाचार एजेंसी की सेवाएं ली जाती है तो उसका नाम व प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान का उल्लेख करें..........
21. विज्ञापन व्यवस्थापक का नाम,पता एवं मोबाइल नं0..........
22. प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी का नाम,पता एवं मोबाइल नं0..........
23. प्रिंटिंग प्रेस का नाम ,पता एवं दूरभाष न0..........
24. प्रिंटिंग प्रेस का प्रकार व क्षमता प्रतिदिनः ....
25. प्रिंटिंग प्रेस हेतु विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत विद्युत भार(कि.वा.)..........
26. यदि डी.ए.वी.पी. दरें स्वीकृत हैं तो उसका विवरण : ....
27. वर्ष में विशेषांक कब प्रकाशित करते है,माह एवं अंक का उल्लेख करें..........

28. क्या समाचार पत्र क मुद्रक/प्रकाशन/स्वामी/सम्पादक अनैतिक एवं समाज विरोधी किसी अपराध में दोषी सिद्व हुआ है । हां अथवा नहीं...

29. खाता संख्या...

30. खाते का प्रकार(चालू/बचत)..

31. बैक का नाम...

32. शाखा कोड..

33. आई.एफ.एस.सी.कोड...

34. पैन नं (पैन न.संबंधित समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक अथवा संबंधित फर्म के नाम से होना चाहिए)...

35. खाताधारक का मोबाइल नं.....................................

36. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि ....

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम............

<u>आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं</u>

1. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।
2. आर.एन.आई.को प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रमाणित प्रति ।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन न.की प्रमाणित प्रति ।
4. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी/आर.एन.आई)का प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति
5. प्रसार संख्या के संबंध में सी.ए.का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ।
6. डाक विभाग के माध्यम से वितरित समाचार पत्रों की संख्या का प्रमाण पत्र प्रतिदिन/ प्रति सप्ताह।
7. स्माचार पत्र के सशुल्क वितरण का वितरक एजेंसी से प्रमाणित प्रमाण पत्र तथा गत 18 माह के एजेन्सी द्वारा समाचार वितरण से संबंधित प्रस्तुंत किये गये बीजको की प्रति।
8. समाचार पत्र का उत्तराखण्ड से बाहर सशुल्क वितरण की संख्या का प्रमाणित प्रमाण पत्र।
9. समाचार पत्र के उत्तराखण्ड के जिलेवार वितरण की संख्या का प्रमाणित प्रमाण पत्र।
10. आर.एन.आई. पंजीकरण की प्रमाणित प्रति ।
11. डाक पंजियन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
12. प्रिंटिग प्रेस के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति ।
13. प्रिंटिंग प्रेस की मुद्रण की प्रकार/क्षमता (प्रति दिन) का प्रमाण पत्र।
14. प्रिंटिंग प्रेस को विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत विद्युत भार की प्रमाणित प्रति ।
15. प्रिंटिंग प्रेस में प्रतिदिन एवं प्रतिमाह छपने वाले समाचार पत्रों की (नाम व संख्या सहित)प्रमाणित सूची ।
16. प्रिंटिंग प्रेस द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु गत 18 माह में दिये गये बीजकों की प्रमाणित प्रति ।
17. स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर क्रय किये गये कागज,स्याही आदि के व्यय संबंधी प्रमाणित विवरण एवं बीजक ।
18. डी.ए.वी.पी.द्वारा स्वीकृत दर की प्रमाणित प्रति ।
19. पैन कार्ड की छाया प्रति ।
20. गत एक वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति ।
21. समाचार एजेंसी को प्रतिमाह किये गये भुगतान के बीजक की गत 18 माह की प्रमाणित प्रति ।
22. आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं एवं आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के संबंध में शपथ पत्र ।

<u>परिशिष्ट-2</u>

विज्ञापन की सूचीबद्धता हेतु
<u>नवीनीकरण आवेदन पत्र</u>

1. समाचार पत्र का नाम : ....
2. समाचार पत्र का कोड नं.(जो सूचना विभाग द्वारा आवंटित किया गया हो)...
3. समाचार पत्र का प्रकार (दैनिक/सांध्य दैनिक/साप्ता./पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक)...
4. सूचना विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत विज्ञापन दर/डी.ए.वी.पी./विभागीय दर...
5. समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक का नाम, पता एवं मोबाइल नं0...
6. समाचार पत्र की भाषा..
7. समाचार पत्र का आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या व वर्ष..
8. समाचार पत्र का डाक पंजियन संख्या वर्ष..
9. समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल का नाम एवं पता..
10. समाचार पत्र के प्रारम्भ होने की तिथि..
11. समाचार पत्र किस दिन एवं दिनांक को प्रकाशित होता है...
12. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी/आर.एन,आई/सी.ए.)...
13. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड से बाहर...
14. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड में (वितरण की संख्या जिलेवार अंकित करे)...............................
15. समाचार पत्र का मूल्य प्रति अंक..
16. समाचार पत्र का मुद्रित आकार ,कालम,वर्ग से.मी. व कुल पृष्ठ संख्या : ....
17. समाचार किस कलर में प्रकाशित होता है (श्वेत-श्याम/रंगीन)..
18. समाचार पत्र के स्वामी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते हों तो,उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम..
19. .समाचार पत्र के स्वामी के परिवार द्वारा कितने समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम..
20. समाचार पत्र के सम्पादक का नाम,पता एव मोबाइल नं0...
21. समाचार पत्र के प्रकाशक/मुद्रक,का नाम, पता एवं मोबाइल नं0...
22. समाचार पत्र द्वारा समाचार संकलन हेतु यदि किसी समाचार एजेंसी की सेवाएं ली जाती है तो उसका नाम व प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान का उल्लेख करें ....
23. विज्ञापन व्यवस्थापक का नाम,पता एवं मोबाइल नं0..
24. प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी का नाम,पता एवं मोबाइल नं0..
25. प्रिटिंग प्रेस का नाम ,पता एवं दूरभाष न0..
26. प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता प्रतिदिनः ....
27. प्रिंटिंग प्रेस हेतु विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत विद्युत भार(कि.वा.)..
28. यदि डी.ए.वी.पी. दरें स्वीकृत हैं तो उसका विवरण : ....
29. वर्ष में विशेषांक कब प्रकाशित करते है,माह एवं अंक का उल्लेख करें......................................
30. क्या समाचार पत्र के मुद्रक/प्रकाशन/स्वामी/सम्पादक अनैतिक एवं समाज विरोधी किसी अपराध में दोषी सिद्व हुआ है । हां अथवा नहीं..
31. खाता संख्या...
32. खाते का प्रकार(चालू/बचत)...
33. बैक का नाम...
34. शाखा कोड...
35. आई.एफ.एस.सी.कोड...

36. पैन नं (पैन न.संबंधित समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक अथवा संबंधित फर्म के नाम से होना चाहिए)...
....

37. खाताधारक का मोबाइल नं...

38. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि ....

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम............

<u>आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं</u>

1. आर.एन.आई.को प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रमाणित प्रति ।
2. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी/आर.एन.आई)का प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति
3. प्रसार संख्या के संबंध में सी.ए.का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ।
4. डाक विभाग के माध्यम से वितरित समाचार पत्रों की संख्या का प्रमाण पत्र प्रतिदिन/प्रति सप्ताह।
5. समाचार पत्र के सशुल्क वितरण का वितरक एजेंसी से प्रमाणित प्रमाण पत्र तथा गत 18 माह के एजेन्सी द्वारा समाचार वितरण से संबंधित प्रस्तुत गये बीजकों की प्रति ।
6. समाचार पत्र का उत्तराखण्ड से बाहर सशुल्क वितरण की संख्या का प्रमाणित प्रमाण पत्र ।
7. समाचार पत्र के उत्तराखण्ड में जिलेवार वितरण की संख्या का प्रमाणित प्रमाण पत्र ।
8. डाक पंजियन प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रमाणित प्रति ।
9. प्रिंटिग प्रेस के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति ।
10. प्रिंटिंग प्रेस की मुद्रण की क्षमता(प्रति दिन)का प्रमाण पत्र ।
11. प्रिंटिंग प्रेस को विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत विद्युत भार की प्रमाणित प्रति ।
12. प्रिंटिंग प्रेस में प्रतिदिन एवं प्रतिमाह छपने वाले समाचार पत्रों की (नाम व संख्या सहित)प्रमाणित सूची ।
13. प्रिंटिंग प्रेस द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु गत 18 माह में दिये गये बीजकों की प्रमाणित प्रति ।
14. स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर क्रय किये गये कागज,स्याही आदि के व्यय संबंधी प्रमाणित विवरण एवं बीजक ।
15. डी.ए.वी.पी.द्वारा स्वीकृत दर की प्रमाणित प्रति ।
16. गत एक वर्ष का आयकर रिर्टन की प्रति ।
17. समाचार एजेंसी को प्रतिमाह किये गये भुगतान के बीजक की गत 18 माह की प्रमाणित प्रति ।
18. सूचना विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई विज्ञापन दर की प्रमाणित प्रति ।
19. आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं एवं आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के संबंध में शपथ पत्र ।

परिशिष्ट-3

प्रसार संख्या हेतु चार्टेड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...प्रकाशक/स्वामी,समाचार पत्र का नाम/पता...जिसका प्रकाशन स्थल...है । इस समाचार पत्र की कुल प्रसार संख्या प्रतिदिन-अंकों में..........................शब्दों में............/प्रतिमाह (अंकों में..........................शब्दों में.............................)/प्रतिवर्ष (अंकों में..........................शब्दों में.............................) है।

सी.ए.के हस्ताक्षर सील सहित
पता एवं मोबाइल नं0

1. डाक के माध्यम से वितरण समाचार पत्र की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र के आधार पर।
2. समाचार पत्र के सशुल्क वितरण का वितरक एजेंसी से प्रमाणित प्रमाण पत्र तथा गत 18 माह के एजेन्सी द्वारा समाचार वितरण से संबंधित प्रस्तुत गये बीजकों की प्रति के आधार पर।
3. समाचार पत्र का उत्तराखण्ड से बाहर सशुल्क वितरण की प्रमाणित संख्या के आधार पर ।
4. समाचार पत्र के उत्तराखण्ड में जिलेवार वितरण की प्रमाणित संख्या के आधार पर ।
5. आर.एन.आई. पंजीकरण के आधार पर ।
6. प्रिंटिंग प्रेस की मुद्रण की क्षमता के प्रमाण पत्र के आधार पर।
7. प्रिंटिंग प्रेस को विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत विद्युत भार के आधार पर ।
8. प्रिंटिंग प्रेस में प्रतिदिन एवं प्रतिमाह छपने वाले अन्य समाचार पत्रों के विवरण के आधार पर ।
9. प्रिंटिंग प्रेस द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु गत 18 माह में दिये गये बीजकों की प्रति के आधार पर ।
10. स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर क्रय किये गये कागज,स्याही आदि के व्यय विवरण के आधार पर ।
11. समाचार एजेंसी को प्रतिमाह किये गये भुगतान के बीजक के आधार पर ।

मै घोषणा/सत्यापित करता हूं कि उक्त समाचार पत्र की प्रसार संख्या का सत्यापन उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर कर लिया गया है

सी.ए.के हस्ताक्षर सील सहित
पता एवं मोबाइल नं0

परिशिष्ट-4

महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सूचीः-

क्रस.	**तिथि(प्रत्येक वर्ष)**	**विज्ञापन का संदर्भ**
1.	23 अप्रैल को	पेशावर काण्ड की वर्षगांठ,वीर चन्द्र सिंह गढवाली।
2.	25 अप्रैल को	हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म दिवस।
3.	25 जुलाई को	श्रीदेव सुमन की पुण्य तिथि।
4.	10 सितम्बर को	भारत रत्न पं. गोबिन्द पंत जी का जन्म दिवस।
5	25 सितम्बर को	प्. दीन दयाल उपाध्याय जन्म दिवस।
6	02 अक्टूबर को	गॉधी/शास्त्री जयंती।
7	31 अक्टूबर को	सरदार बल्लभ भाई पटेल।
8	14 नवम्बर को	बाल दिवस।
9	19 नवम्बर को	पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गॉधी जी का जन्म दिवस।
10	24 दिसम्बर को	स्व0 इन्द्रमणि बडोनी की पुण्य तिथि।
11	25 दिवसम्बर को	पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेयी जन्म दिवस।
12	09 नवम्बर को	राज्य स्थापना दिवस।
13	गठन के अनुसार	राज्य सरकार की वर्षगॉठ
14	15 अगस्त को	स्वतंत्रता दिवस।
15	26 जनवरी को	गणतंत्र दिवस
16	26 जुलाई को	शौर्य दिवस(कारगिल विजय दिवस)
17	31 अगस्त को	खटीमा मसूरी गोलीकाण्ड वर्षगांठ
18	तिथि निर्धारित नही	शारदीय नवरात्र पर कुंजापुरी पर्यटन मेला।
19	01 अक्टूबर को	रामपुर तिराहा काण्ड की वर्षगांठ
20	07 दिसम्बर को	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस।

टिप्पणीः उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण जयंती/पुण्य तिथि/अवसर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त महानिदेशक,सूचना द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।